न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 123/2018

पीठासीन अधिकारी — करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 लच्छाराम पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी ढ़ाणी कल्याणपुरा (दांतरू) तहसील फतेहपुर जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 जीवन सिंह पुत्र रूपाराम जाति जाट निवासी ढ़ाणी कल्याणपुरा (दांतरू) तहसील फतेहपुर जिला सीकर (मृत) जरिये विधिक प्रतिनिधिगण
1/1 परमेश्वर पुत्र जीवन सिंह।
1/2 श्रीमती कमला देवी पत्नी जीवन सिंह।
2 बिरजू राम उर्फ विधाधर पुत्र पोखर राम।
3 श्रीमती सरस्वती पत्नी पोखर राम।
4 टीकूराम पुत्र सुरजाराम।
5 पेमाराम पुत्र सुरजाराम।
6 लालसिंह पुत्र सुरजाराम।
7 मूलसिंह पुत्र सुरजाराम।
8 श्रीमती तीजु देवी पत्नी सुरजाराम समस्त जाति जाट निवासीगण ढ़ाणी कल्याणपुरा (दांतरू) तहसील फतेहपुर जिला सीकर।
9 तहसीलदार फतेहपुर भूमिधारक प्रतिनिधि राजस्थान सरकार तहसील कार्यालय फतेहपुर जिला सीकर।

रेस्पोंडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 12.09.2018 द्वारा पारित श्रीमती रेणु मीणा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर बमुकदमा संख्या 15/2013 बउनवानी लच्छाराम बनाम जीवनसिंह जरिये विधिक प्रतिनिधिगण व अन्य जिसके द्वारा अपीलार्थी की और से व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 के अन्तर्गत पेश प्रार्थना पत्र खारिज किया गया

उपस्थित

1. श्री सोहनलाल अधिवक्ता अपीलांट

—निर्णय—

दिनांक:— 29.03.2019

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर द्वारा मुकदमा संख्या 15/2013 में पारित निर्णय दिनांक 12.09.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी स्व. जीवनसिंह ने प्रार्थी अपीलांट एवं अन्य के विरूद्व राजस्व वाद बाबत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा पेश किया। विचारण न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही कर दिनांक 08.02.2006 को प्राथमिक डिकी एवं दिनांक 01.04.2006 को अन्तिम डिकी पारित कर दी। इसके विरूद्व अपीलांट ने विचारण न्यायालय में आदेश 9 नियम 13 सीपीसी के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बिना

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना अपीलांट को सुने आदेश 9 नियम 13 के साथ प्रस्तुत अपीलांट के आवेदन धारा 5 खारिज करते हुये आवेदन खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत हुई है।

बहस वकील अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि प्रार्थी की ओर से व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 व मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत पेश उपरोक्त प्रार्थना पत्रों का स्व. जीवणसिंह के विधिक प्रतिनिधिगण के द्वारा जवाब पेश किया गया। इसके बाद इस प्रकरण में प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिनस्थ न्यायालय के पूर्व पीठासीन अधिकारी के समक्ष लिखित बहस पेश की गयी थी, परन्तु इसके बाद उभयपक्षों की मौखिक बहस नहीं सुनी गयी और उक्त प्रकरण लम्बित रहा। विद्वान अधिनस्थ न्यायालय के वर्तमान पीठासीन अधिकारी के समक्ष दिनांक 15.06.2018 को उक्त प्रकरण की पत्रावली कैम्प कोर्ट दांतरू मे पेश हुयी एवं इस रोज राजीनामे हेतु पक्षकार उपस्थित नहीं हुये। दिनांक 15.06.2018 को इस प्रकरण की पत्रावली में उभयपक्षों की अनुपस्थिति में व बिना मौखिक बहस सुने ही निर्णय हेतु दिनांक 27.07.2018 नियत कर दी गयी। इस प्रकार इस प्रकरण में विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों की बिना मौखिक बहस सुने सीधे ही निर्णय में पेशी नियत कर दी, जबकि उक्त प्रकरण कें विधि अनुसार मौखिक बहस हेतु पेशी नियत की जानी चाहिये थी। इस प्रकरण की पत्रावली दिनांक 27.07.2018 को विद्वान अधिनस्थ न्यायालय में पेश नहीं हुई। दिनांक 27.07.2018 को पत्रावली पेशी में नहीं आने बाबत प्रार्थी की ओर से जानकारी चाहने पर बताया गया कि प्रकरण की पत्रावली मिल नहीं रही है और प्रार्थी को इस प्रकरण में आगामी पेशी भी नहीं दी गयी। इसके बाद विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27. 08.2018 को उभयपक्षों की अनुपस्थिति में पत्रावली पेश होने का अंकित

पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

कर बिना प्रार्थी व उसके अभिभाषक को सूचित किये व बिना प्रार्थी की और से मौखिक बहस सुने प्रकरण में मियाद अधिनियम की धारा 5 के निर्णय हेतु पेशी 12.09.2018 नियत कर दी गयी। विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 12.09.2018 को मियाद अधिनियम की धारा 5 को खारिज कर व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 प्रार्थना पत्र को भी खारिज कर दिया गया। इस प्रकार विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस प्रकरण में प्रार्थी की ओर से बिना मौखिक बहस सुने व उपरोक्त अनुसार नियत की गयी पेशियों के बारे में प्रार्थी व उसके अभिभाषक को सूचित किये बिना ही अवैध और मनमाने तरीके से विधि विरूद्व आदेशिका लिखकर पूर्णतया विधि विरूद्व, पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के खिलाफ और मनमाने तरीके से उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.09.2018 पारित किया गया है। विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश में प्रार्थी की लिखित बहस का कोई उल्लेख नहीं किया। इसके अलावा विद्वान अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन आदेश में वकुलाय फरीकैन की बहस सुनने का भी गलत रूप से उल्लेख किया है। इस प्रकार विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश प्रकियात्मक विधि के आदेशात्मक प्रावधानों के विपरित, पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के खिलाफ, मनमाना और विधि विरुद्ध होने के कारण कायम रहने योग्य नहीं होकर अपास्त किये जाने योग्य है। अपील स्वीकार कर आदेश 9 नियम 13 सीपीसी का आवेदन स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक एवं अन्तिम डिक्री अपास्त करते हुये प्रकरण सुनवाई हेतु रिमाण्ड करने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय द्वारा बिना कोई विवेचन किये बिना केवल मात्र यह अंकित करते हुये की प्रार्थी द्वारा विलम्ब से

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र का कोई ठोस कारण पेश नही किया, अपीलांट का धारा 5 का आवेदन खारिज कर आदेश 9 नियम 13 का आवेदन भी खारिज किया है। विचारण न्यायालय का यह निर्णय विधि सम्मत नही पाया जाता है।

विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 मियाद अधिनियम के विपरित कोई साक्ष्य पत्रावली पर नही है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय को धारा 5 का आवेदन न्यायहित में उदार दृष्टीकोण रखते हुये स्वीकार करना चाहिये था।

जहां तक विचारण न्यायालय में वाद के दौरान अपीलांट की तामिल का प्रश्न है अपीलांट विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 3 दर्ज था। विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 3 के विरूद्व दिनांक 26.10.2005 को एकतरफा कार्यवाही की गई। विचारण न्यायालय की पत्रावली में अपीलांट लच्छा के तीन नोटिस संलग्न है तीनों के पुस्त पर रिपोर्ट अंकित है कि लच्छा मौजुद नही मिला उपस्थित ने नोटिस लेने से इन्कार किया एवं दो गवाहो की मौजुदगी में चस्पादगी से तामिल करवाने का इन्द्राज है। प्रथम तो चस्पांदगी से तामिल हेतु विचारण न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का आदेश नही दिया गया है। द्वितीय चस्पांदगी के उपरान्त अपीलांट के विरूद्व विचारण न्यायालय को न्यायहित में रजिस्टर्डड नोटिस जारी करने चाहिये थे जो नही किये गये है। ऐसी स्थिति में अपीलांट के विरूद्व पारित एकतरफा कार्यवाही के आदेश, प्राथमिक एवं अन्तिम डिक्री को प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के अनुरूप विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश 9 नियम 13 का आदेश, प्राथमिक

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

डिक्री दिनांक 08.02.2006 एवं अन्तिम डिक्री दिनांक 01.04.2006 राजस्व वाद मुकदमा संख्या 27/2003 को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि मूल वाद 27/2003 में अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 26.04.2019 को पेश हो।

निर्णय आज दिनांक 29.03.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

29.3.19

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर